न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –07/2019

दायर दिनांक – 10.04.2019

निर्णय दिनांक – 23.05.2022

जीसीएमएस नं0 – 2019/00069

प्रार्थीगण

1. श्री प्रभू पुत्र कम्मा
2. श्री बुद्धा पुत्र कम्मा
3. श्री मोहन पुत्र कम्मा
4. श्री नानू पुत्र कम्मा (मृतक) जरिये वारिसान:–
   - 4/1. बिरदी बेवा श्री नानू
   - 4/2. सांवरा पुत्र श्री नानू
   - 4/3 नाथी पुत्री श्री नानू
   - 4/4 अनिता पुत्री श्री नानू
   - 4/5 निरमा पुत्री श्री नानू
   - 4/6 ममता पुत्री श्री नानू

समस्त जाति रावत निवासी किशनपुरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर जरिये सचिव।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर, अजमेर।
3. ईसर पुत्र श्री सब्बा (मृतक) जरिये वारिसान :–
   - 3/1. भंवरी बेवा श्री ईसर
   - 3/2. ब्रह्मा पुत्र श्री ईसर
   - 3/3. ओमा पुत्र श्री ईसर
   - 3/4. नेमीचंद पुत्र श्री ईसर
   - 3/5. दिनेश पुत्र श्री ईसर
4. मिश्री पुत्र श्री सब्बा
5. देवी पुत्र श्री सब्बा

जाति रावत निवासी किशनपुरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

<u>राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थिति– 1.श्री सराफुद्दीन, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
[illegible]र सरकार तहसीलदार, पुष्कर
3.श्री [illegible]सिंह गुर्जर, अधिवक्ता,
[illegible] विकास प्राधिकरण, अजमेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 1[illegible]:17:58 IST
Reason: SelfAttested

23.5.22

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

<u>—: निर्णय :—</u>

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम किशनपुरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के पुराना खसरा नंबर 792 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 1142/2049 रकबा 0.01 हैक्ट0, खसरा नंबर 1141 रकबा 0.36 हैक्ट0, खसरा नंबर 1142 रकबा 0.47 हैक्ट0 है। विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 792 के मूल खातेदार प्रार्थी के पिता कम्मा पुत्र हीरा एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के पिता सब्बा पुत्र हीरा थे जिनका प्रत्येक का आराजी में 1/2—1/2 हिस्सा था और मृतक कम्मा व सब्बा आराजी पर अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहे और उनके देहांत के पश्चात् प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को विवादित आराजी विरासत में प्राप्त होकर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं।

साबिक खसरा नंबर 792 हाल खसरा नंबर 1142/2049, 1141, 1142 प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी रही है किंतु उक्त साबिक आराजी खसरा नंबर 792 के हाल खसरा नंबर 1142/2049, 1141 को राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण की खातेदारी में राजस्व कर्मचारियों ने दर्ज कर दी किंतु साबिक खसरा नंबर 792 के हाल खसरा नंबर 1142 को राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी अधिकार एवं बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अप्रार्थी संख्या 02 अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम गैर—कानूनी रूप से दर्ज कर दी। अतः राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज साबिक खसरा नंबर 792 हाल खसरा नंबर 1142 रकबा 0.47 हैक्ट0 का खातेदार अजमेर विकास प्राधिकरण का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना—पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना—पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 01 की ओर से वकील श्री [illegible] गुर्जर द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 26.07.2021 को अप्रार्थी सं0 02 लगायत 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 15.03.21 को वकील श्री [illegible] द्वारा प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व सपठित धारा 10ए पेश किया गया, जिसे अभिभाषक के निवेदन पर दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:17:58 IST
Reason: SelfAttested

23.5.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

04.08.2021 को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन करते हुए प्रार्थना–पत्र के तथ्यों पर मनन किया जाकर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 10ए को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 4 के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने की स्वीकृति दी गई।

अप्रार्थी सं0 01 अजमेर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र पेश करके कथन किया कि प्रकरण के पैरा सं0 1 लगायत 4 में वर्णित कथन जिस प्रकार से एवं जिस उद्देश्य से वर्णित किये गये हैं वह गलत होने से अस्वीकार है। यहां पर अप्रार्थी उत्तरदाता की ओर से निवेदन है कि प्रश्नगत ग्राम किशनपुरा तहसील पुष्कर के वर्तमान खसरा नंबर 1142 रकबा 0.47 हैक्ट0 किस्म चाही 1 जिला कलक्टर अजमेर के आदेश के द्वारा प्राधिकरण को हस्तांतरित भूमि हैं। जिसके संबंध में अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 48 प्रावधानों के तहत कार्यवाही का अधिकारी प्राधिकरण में निहित है। प्रार्थी द्वारा तथ्य छिपाकर प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है, जो की खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण के पैरा संख्या 5 व 6 में वर्णित कथन जिस प्रकार एवं जिस उद्देश्य से वर्णित किये गये हैं , वह गलत होने से अस्वीकार है। यहां पर अप्रार्थी उत्तरदाता की ओर से निवेदन है कि प्रकरण पर सुनवाई का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं हैं। प्रकरण में वाद कारण भी उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा परिसीमा अवधि के बाहर जाकर वाद पेश किया गया हैं तथा प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्ध प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है, जो कि अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण में वर्णित प्रश्नगत राजस्व ग्राम किशनपुरा तहसील पुष्कर की वर्तमान खसरा नंबर 1142 रकबा 0.47 हैक्ट0 किस्म चाही 1 से संबंधित है। राजस्व ग्राम किशनपुरा तहसील पुष्कर की वर्तमान खसरा नंबर 1142 रकबा 0.47 हैक्ट0 किस्म चाही 1 कार्यालय जिला कलक्टर अजमेर के आदेश क्रमांक–कअ/राजस्व/एफ/12(सी)()/13/ 288 दिनांक 27.09.2013 द्वारा सिवायचक से अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को हस्तांतरित भूमि है। भूमि के संबंध में सभी अधिकार प्राधिकरण के पास है। इसलिए वर्तमान स्वरूप में पेश प्रकरण खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:17:58 IST
Reason: SelfAttested

इस संबंध में [illegible] तहसीलदार, पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2021/[illegible] दिनांक [illegible]10.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " प्रार्थीगण ने ग्राम किशनपुरा के साबिक ख0नं0 792 रकबा 05–04–00 बीघा के हाल खसरा नम्बर

23.5.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

1142/2049 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1142 रकबा 0.42 हैक्टेयर को वर्किंग जमाबन्दी अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को विलोपित कर प्रार्थीगण तथा तरतीबी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने/दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है। यह है कि वर्किंग खसरा नम्बर 792 रकबा 05–04–00 बीघा के हाल से वर्किंग तथा वर्किंग से हाल मिलान निम्नानुसार है।

हाल से वर्किंग			
हाल खसरा नंबर	रकबा (हैक्ट0)	वर्किंग खसरा नंबर	रकबा (हैक्ट0)
1141	0.36	792 मि.	0.36
1142	0.47	792 मि.	0.47
1146/2050	0.01	792 मि.	0.01

वर्किंग से हाल			
वर्किंग खसरा नंबर	रकबा	हाल खसरा नं0	रकबा (हैक्ट0)
792 मिन	02–19–00 बीघा (0.48) 02–05–00 बीघा (0.36)	1141	0.36
		1142	0.47
		1146/2049	0.01

अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर) सत्यमेव जयते

यह है कि साबिक खसरा नम्बर 792 रकबा 05–04–00 बीघा अन्य खसरा नम्बरान के साथ खाता संख्या 19 खातेदार कम्मा, सब्बा पि. हीरा कौम रावत सा. देह दर्ज है। उक्त जमाबन्दी पड़त पटवार में खाता संख्या 19 तथा 572 जीर्णशीर्ण होने से पड़त सरकार का अवलोकन करने पर खाता नं. 19 में कालम संख्या 17 कैफियत में बदर सूची से खसरा नम्बर 790 रकबा 04–04–00 बीघा खसरा नम्बर 792 रकबा 05–04–00 बीघा सिवायचक होने का अंकन दर्ज है। वर्किंग जमाबन्दी जीर्णशीर्ण होने के कारण वर्किंग संवत् 2041 की पश्चातवर्ती राजस्व गिरदावरी का अवलोकन करने पर खसरा नम्बर 792 मी. रकबा 02–19–00 बीघा द्वारा गिदरावरी के कॉलम संख्या 04 (खेवट खतौनी) की संख्या 01 तथा कॉलम संख्या 05 (खातेदार/गैर खातेदार का नाम) सिवायचक तथा खसरा नम्बर 792 मी. करबा 02–05–00 बीघा कॉलम संख्या 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:17:58 IST
Reason: SelfAttested

23.5.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

में 542 तथा कॉलम संख्या 5 में प्रभु, मोहन, नानू, बुद्धा पि. कम्मा ईसर, मिश्री देबी पि. सब्बा रावत गैर खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार अन्तिम वर्किंग खसरा गिरदावरी संवत् 2063 से 2066 में भी साबिक खसरा नम्बर 792 मि. रकबा 02—15—00 बीघा कॉलम 4 में खातौनी खाता संख्या 01 कालम 5 में श्री सरकार तथा 792 मि. रकबा 02—05—00 बीघा कॉलम दर्ज खातौनी खाता संख्या 542 कॉलम 5 में मोहन प्रभु, बुद्ध, नानू पि. कम्मा ईसर, मिश्री देबी पि. सब्बा कौम रावत सा. देह खातेदार दर्ज है। भू—प्रबन्ध कार्यवाही भू—प्रबन्ध विभाग से प्राप्त मिसल बन्दोबस्त में वर्किंग खसरा नम्बर 792 रकबा 05—04—00 बीघा के नये खसरा नम्बर 1141 रकबा 0.36 खाता नम्बर 123 में प्रभु, मोहन, नानू, बुद्धा पि. कम्मा ईसर, देबी, मिश्री पि. सब्बा कौम रावत सा. देह खतेदार तथा खसरा नम्बर 1142 रकबा 0.47 खाता संख्या 356 सिवाचयक काबिल काश्त 1142/2049 रकबा 0.01 खाता नम्बर 357 सिवायचक ना0 का0 काश्त दर्ज होकर वर्तमान में खसरा नम्बर 1141 रकबा 0.36 जमाबन्दी के खाता नम्बर 163 में प्रार्थीगण तथा तरतिबी/अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 1142 रकबा 0. 47 व खसरा नम्बर 1142/2049 रकबा 0.01 खाता नम्बर 01 सिवायचक होने से राजहित प्रभावित होता है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों यथा — तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, अजमेर विकास प्राधिकरण का जवाब प्रार्थना—पत्र, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राजस्व ग्राम किशनपुरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खसरा नंबर 1142 रकबा 0.47 हैक्ट0 के राजस्व रिकॉर्ड में अजमेर विकास प्राधिकरण का नाम खातेदार से विलोपित किया जाकर प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:17:58 IST
Reason: SelfAttested

—:: निर्णयात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार

23.5.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। राजस्व ग्राम किशनपुरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खसरा नंबर 1142 रकबा 0.47 हैक्ट0 अजमेर विकास प्राधिकारण के नाम दर्ज होने से राजहित प्रभावित होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक 23.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

23.5.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:17:58 IST
Reason: SelfAttested